एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड।

बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(2015 की आपराधिक अपील संख्या 1273)

29 सितंबर ,2015

(एच.एल.दत्तू, सीजेआई, ए.के. सिकरी और आर.एफ.नरीमन,

जे.जे.)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एसएस। 220 और 223 संयुक्त मुकदमा-यदि प्रशासनिक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय विशेष अदालत को 2G घोटाले से संबंधित सभी अपराधों का निर्णय देने की शक्ति देता है, तो ऐसा कोई भी पेनल कोड अपराध भी विशेष न्यायाधीश की धारा में आएगा, अर्थात वह अपराध जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ नहीं दोषित किया जाना है, जब तक वे 2G घोटाले से संबंधित हैं - संयुक्त प्रकरण का आदेश देने का निर्णय विवेकात्मक है -वर्तमान मामले में, विशेष न्यायाधीश एक संयुक्त मुकदमे का आदेश देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने में न्यायसंगत थे यह आधार कि दोनों मामलों को एक साथ जोड़ने का परिणाम होगा प्रयास की बर्बादी जो पहले ही हो चुकी है और न्याय की विफलता होगी-घोटाला-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-दंड संहिता, 1860

अपील और रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, अदालत ने अभिनिर्धारित किया:

1. धारा 220 और 223 के आधार पर, एक संयुक्त मुकदमे का आदेश देने का विवेकाधिकार न्यायालय के पास निहित है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रशासनिक आदेश उच्च न्यायालय का दिनांकित 15.03.2011 वैध था, इसलिए स्पष्ट है कि स्वयं एक दंड संहिता के अपराध के बावजूद - अर्थात, ऐसा अपराध जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ नहीं दोषित किया जाना चाहिए - विशेष न्यायाधीश की प्राधिकृति में आएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय के प्रशासनिक आदेश विशेष अदालत को 2G घोटाले से संबंधित सभी अपराधों का निर्णय देने की शक्ति देता है। वास्तव में, जाँच एक बार जब इस आदेश को बरकरार रखा जाता है, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4(3) पर आधारित विवाद महत्वहीन हो जाता है। यही कारण है कि स्वतंत्र भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4(3) और दिनांकित 28.03.2011 अधिसूचना के अनुसार, विशेष न्यायाधीश ने मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र में निहित किया गया था 2 जी से संबंधित सभी मामलों में विशेष रूप से घोटाला, जिसमें दंड संहिता शामिल होगी अपने आप में अपराध, जब तक वे संबंधित हैं 2 जी घोटाला 15.03.2011 की प्रशासनिक आदेश के खिलाफ चुनौती विशेष रूप से खारिज की जाती है, तो दंड संहिता के अपराध जो

दूसरी पूरक चार्जशीट से उत्पन्न होते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ विशेष न्यायाधीश द्वारा अलग-अलग प्रकरण में सुनी जा सकते हैं। (पैरा 20 और 21)(353-A; 354-C-F,H; 355-A)

2. विशेष न्यायाधीश ने 02.09.2013 दिनांकित आदेश के माध्यम से, संयुक्त प्रकरण की आदेश देने के लिए अपने विवेक का प्रयास नहीं करने के लिए सुसंगत कारण दिए हैं।। उन्होंने कहा कि सबूत मुख्य मामले में लगभग अंत तक पहुँच गया है और मुख्य मामले में 146 गवाह और 71 गवाह दूसरे पूरक आरोप-पत्र में गवाह दोनों मामलों को जोड़कर पहले ही जांच की जा चुकी है दो मामलों को साथ मिलाने से पहले प्रयास की बर्बादी होगी और न्याय की विफलता होगी। (पैरा 22)(355-बी-सी)

जनहित याचिका केंद्र v. संघ का भारत (2011) 1 एस. सी. सी. 560; हरजिंदर सिंह बनाम राज्य पंजाब (1985)1 एस. सी. सी. 422; राज्य (सी. बी. आई, के माध्यम से नई दिल्ली) v. जितेन्द्र कुमार सिंह (2014) 11 एससीसी 724: 2014 (2) एस.सी.आर. 621-संदर्भित।

केस लॉ रेफरेन्स

(2011)1 एससीसी 560 संदर्भित किया पैरा 5

(1985) 1 एस. सी.सी. 422 संदर्भित किया गया। पैरा 20

2014 (2) एससीआर 621 संदर्भित किया गया। पैरा 21

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः अपराधी अपील सं. 1273/2015

दिनांकित 02.09.2013 निर्णय और आदेश से पारित श्री ओ. पी. सैनी, विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई,(04) (2 जी स्पेक्ट्रमद्)मामले), पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में सीसी नंबर 1 (बी)/2012 के साथ

डब्ल्यूण् पी. (सीआरएल.) नं. 36 और 2014 का 39

हरीश एन.साल्वे, ई. सी. अग्रवाल, शाली भसीन अपीलार्थी के लिए

पिंकी आनंद, एएसजीए आनंद ग्रोवर, सोनिया माथुर, मिहिन ऋषभ जैन, करण सेठ, बालेन्दु शेखर, बी. वी. बलराम दास, साकेत सिंह, संगीता सिंह, निरंजना सिंह उत्तरदाता के लिए

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन,जे. 1. एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में दी स्वीकृति। 2014 का No. 2978।

340 एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। वी. केंद्रीय भवन

2. ये मामले इस अदालत द्वारा दिए गए निर्णय के एक परिणाम के रूप में उत्पन्न हुए हैं, जिसमें 01.07.2013 को इस अदालत द्वारा दिया गया था, जिसमें एसार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड, लूप टेलीकॉम लिमिटेड जी और विकाश सरफ द्वारा दिए गए तीन रिट पिटीशन्स को इस अदालत के एक डिवीजन बेंच द्वारा खारिज किया गया था।

3. इस अदालत के समक्ष विवाद कैसे उत्पन्न हुआ यह समझने के लिए जरूरी संक्षिप्त तथ्य निम्नलिखित हैं

अगला पृष्ठ एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड। वी. केंद्रीय भवन जाँच

(आर. एफ.नरीमन, जे.)

4. सीबीआई द्वारा एफआईआर आरसी नंबर DAI 2009A0045 दिनांक 21.10.2009 को पंजीकृत किया गया, जिसमें 1988 के भ्रष्टाचार अधिनियम के अधीन अपराधों का आरोप और साल 2008 में 122 यूएएस लाइसेंस की देने के संदर्भ में अविभाज्य सरकारी अधिकारी, व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ आरोप किया गया। उक्त एफआईआर के पूर्वान्त में अपराध का संक्षेपिक वर्णन दिया गया था, जो निम्नलिखित रूप में दिया गया है:

> "इस प्रकार, दूरसंचार विभाग के संबंधित अधिकारियों ने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके निजी व्यक्तियों/कंपनियों के साथ अपराधिक साजिश में रहकर कुछ चयनित कंपनियों को एक नाममात्र दर पर संयुक्त पहुंच सेवा लाइसेंस प्रदान किए, अन्यों के आवेदनों को किसी भी मान्य कारण के बिना खारिज करके, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को और निजी व्यक्तियों/कंपनियों को अनुमानित रूप से 22,000 करोड़ रुपये से अधिक का दुरुपयोग का कारण बनाया
>
> उपरोक्त तथ्य अपराध किए जाने का खुलासा करते हैं। धारा 120.बी आई. पी. सी., आर/डब्ल्यू धारा 13(2)

आर/डब्ल्यू धारा 13(1)(डी) के तहत के कुछ अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ पी. सी. अधिनियम, 1988 दूरसंचार विभाग, भारत सरकार, अज्ञात निजी व्यक्ति/कंपनियां और अन्य"

5. 16.12.2010 पर, इस न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ, (2011) 1 एस. सी. सी. 560 के आदेश में उल्लिखित एफआईआर की जाँच करने के लिए सीबीआई को निर्देशित किया। 10.02.2011 को, सीबीआई और निर्देशालय ऑफ एनफोर्समेंट द्वारा की जाने वाली जाँच को मॉनिटर करते समय, इस न्यायालय ने एक आदेश जारी किया, जिसमें दिया गया कि कोई भी अन्य न्यायालय कोई ऐसा आदेश नहीं देगी जिससे सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा की जाने वाली जाँच को किसी भी तरीके से बाधा डाल सकता है। 02.04.2011 को और 25.04.2011 को, सीबीआई ने 12 अभियुक्तों के खिलाफ एक चार्जशीट और पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की, जिन्होंने भारतीय दण्ड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दोनों के अंतर्गत अपराध किए थे। यह बताया जाता है कि यह सामान्य बात है कि हमारे समक्ष किसी भी पिटीशनर का नाम या उनका उल्लेख इन दो चार्जशीटों में नहीं था।

6. वर्तमान मामला 12.12.2011 को तिथि दिनांक वाली दूसरी पूरक चार्जशीट से उत्पन्न हुआ है, जिसमें 8 व्यक्तियों का उल्लेख करके धारा

1208 के अंतर्गत धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराधों का आरोप लगाया गया है। उपयुक्त है कि इस दूसरी पूरक चार्जशीट में जो हमारे सामक्ष पिटीशनरों को आलंबित कर रही थी, उसमें किसी भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध शामिल नहीं थे। सीबीआई ने उस चार्जशीट में कहा कि जांच के दौरान फार्म RC नं DAI 2009A 0045 के तहत अलग-अलग अपराधों का नोटिस उनके समक्ष आया, जिसके परिणामस्वरूप दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की जा रही थी। उन्होंने आगे कहा कि ये आरोप प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई हो सकते हैं, लेकिन किसी भी उपयुक्त अदालत को समर्थित मानकर प्रक्रिया जारी की जा सकती है ताकि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उनके दिखाई देने और कानून के अनुसार अदालत में याचिका दाखिल करने के लिए जारी की जा सके।

7. 21.12.2011 को, विशेष न्यायाधीश ने इस दूसरी पूरक चार्जशीट जिसकी दिनांक 12.12.2011 थी, का संज्ञान लिया और यह कहा कि उन्हें यकीन है कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त आरोपी सामग्री है ताकि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

8. इस बीच, इस अदालत के आदेश दिनांक 10.02.2011 में किए गए एक टिप्पणी के परिणामस्वरूप, दो महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुईं। पहली बात, दिल्ली हाईकोर्ट ने 15.03.2011 को एक प्रशासनिक आदेश जारी किया, जिसमें श्री ओ. पी. सैनी को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, ताकि वह 2 जी घोटाले के सभी मामलों की सुनवाई कर

सकें, और दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की दिनांक 28.03.2011 को, जिसमें श्री ओ. पी. सैनी को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, ताकि वह 2 जी घोटाले के सभी मामलों की सुनवाई कर सकें। जैसा कि पहले भी उल्लिखित है, इन दो मुद्दों पर सवाल किया जाता है विशेष न्यायाधीश, सीबीआई द्वारा दूसरी पूरक चार्जशीट में उपयुक्त अपराधों के संज्ञान लेने के लिए दिनांक 21.12.2011 को जारी किए गए आदेश को छोड़कर, जिन पिटीशनरों के खिलाफ किए गए हैं, उन लिखे गए हैं। इन पिटीशनों में शामिल मांगों को नीचे दिया गया है:

क)एक Certiorari का रिट या उसके प्रकार का एक आदेश या निर्देश, जिसके साहित्य में अपराधिक आदेश को दिनांक 15.03.2011 को जारी किया गया था, के सम्बंध में छापने का आदेश, जिसके अंतर्गत उपयुक्त धारिता देने का प्रयास किया जाता है कि उनके पास सभी मामलों की जांच और सुनवाई करने की शक्ति दी जाती है जो अन्यथा उपयुक्त अधिनियम के तहत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच और सुनवाई की जाने वाली हैं, और उस पर आधारित सभी परतव्यपादिक कार्रवाई/आदेशों को छापने का आदेश;

ख) Certiorari का एक रिट या Certiorari के स्वभाव में किसी अन्य आदेश या निर्देश, जिसके साहित्य में सूचना है नं. 6/05/2011-जड़ि. जिसकी दिनांक 2 28.03.2011 है, को छापने का आदेश, जिसके

अंतर्गत उपयुक्त धारिता देने का प्रयास किया जाता है कि उनके पास सभी मामलों की जांच और सुनवाई करने की शक्ति दी जाती है जो अन्यथा उपयुक्त अधिनियम के साथ भारतीय संविधान के अनुसार उनकी धारिता के अंतर्गत नहीं हैं, और उस पर आधारित सभी परतव्यपादिक कार्रवाई/आदेशों को छापने का आदेश;

ग) 21.12.2011 दिनांकित आदेश को रद्द करने और अलग करने के लिए एक रिट। एल. डी. द्वारा पारित। विशेष न्यायाधीश श्री ओ. पी. सैनी 2011 के सी. सी. नं 1 (बी) में 'सी. बी. आई. बनाम रविकांत' शीर्षक से संज्ञान रुइया और अन्य और उससे निकलने वाली सभी कार्यवाहियां;

घ) ऐसे अन्य आदेश पारित करें, जिनकी आवश्यकता हो सकती है। न्याय समानता और अच्छे विवेक के हित में।

9. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि प्रार्थना (ए) और (बी) संबंधित हैं और उच्च न्यायालय की दिनांक 15.03.2011 की प्रशासनिक आदेश और दिल्ली सरकार की दिनांक 28.03.2011 की सूचना को छापने का आदेश, जिनमें विशेष न्यायाधीश को इनक्वायरी करने और 2 जी घोटाले से उत्पन्न सभी मामलों की जांच करने की धारिता प्राप्त होती है। प्रार्थना (सी) को जोड़ने का काम 21.12.2011 को जारी किए गए ज्ञानवान न्यायाधीश के द्वारा लिये गए संज्ञान को दरकिनार करने के लिए था।

10. एक विस्तृत निर्णय में, इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें इस प्रकार हैंः

"याचिकाकर्ता (ओं) के विद्वान वकील ने न्यायालय के द्वारा दिनांक 15.03.2011 को पारित किया गया प्रशासनिक आदेश और दिल्ली के एनसीटी सरकार के द्वारा जारी की गई 28.03.2011 की सूचना का विरोध किया। इस विरोध के आधार पर, पिटीशनर के वकील ने निम्नलिखित आधारों पर आपत्ति जताई:

14.1. आपत्तिजनक सूचना भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों को पारित करती है। दण्ड संहिता के तहत आपत्तियों की जांच उसके प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

14.2. इस मान्यता प्राप्त है कि इस मान्य न्यायालय द्वारा सीबीआई बनाम केशुब महिंद्रा ((2011) 6 एससीसी 216: (2011) 2 एससीसी (सीआरआई) 863) में निर्णय दिया गया है कि: (एससीसी पृ 219,पैरा 11)

> "11. कोई भी न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय, इस मामले में इस न्यायालय को छोड़कर, किसी भी कानून या संहिता के स्पष्ट प्रावधानों को अमूल्य करने के तरीके से पढ़ा नहीं जा सकता." (मूल ध्यान केंद्रित)

इस प्रकार, प्रशासनिक आदेश और अधिसूचना कानून के सुव्यवस्थित प्रावधानों के विपरीत हैं और इसे तय किया जाना चाहिए कि वे किसी विशेष न्यायाधीश को पारित करने और मामलों की जांच और सुनवाई करने की धारिता प्रदान करते हैं जो पीसी अधिनियम की अपराधों से संबंधित नहीं हैं।

14.3. अगर धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध की जांच एक मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए, तो इसे सत्र न्यायालय द्वारा की जाने की स्थिति में, पिटीशनर के कई मूल्यवान अधिकार को खतरे में डाल देगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच के निर्णय ए.आर. अंतुले बनाम आर.एस. नायक ((1988) 2 एससीसी 602: 1988 एससीसी (सीआरआई) 372) के खिलाफ होगा, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अपील का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है और इस प्रकार के अधिकार की हानि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।" (पैरा 14 में)

11. धारा 194, 26, 220 और 223 निर्धारित करने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में " सी. आर. पी. सी.") और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4, इस न्यायालय द्वारा कहा गयाः

"पूर्वदर्शित दूसरी चार्जशीट से स्पष्ट होता है कि जिन मुकदमेदारों द्वारा जिन्होंने 2G स्कैम के दौरान किए जाने के आरोप किए थे, उनके खिलाफ एक आरोप सिद्ध हो गया है। इसी कारण उन्हें 2G स्कैम मामले में आरोपी बना दिया गया है। "मान लीजिएए 2G स्कैम मामले के सह-आरोपी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपी केवल विशेष न्यायाधीश द्वारा परीक्षित किए जा सकते हैं। यह प्रार्थी उसी 2G स्कैम मामले के सह-आरोपी हैं। इस

पृष्ठभूमि में धारा 220 सी. आर. पी. सी. लागू होगी और प्रार्थी, हालांकि भिन्न अपराधों के तहत आरोपी हैं, जैसे कि धारा 420/120-आई. पी. सी जिनका आरोप किया गया है कि वे 2G स्पेक्ट्रम लेन-देन के दौरान किए गए थे, धारा 223 सी. आर. पी. सी. के अंतर्गत उनका आरोप लगाया जा सकता है और वे 2G स्कैम के अन्य सह-आरोपियों के साथ यथाशक्त संयुक्त तरीके से आरोपित और परीक्षित किए जा सकते हैं।" [24 और 25 अनुच्छेदों में]

12 इस न्यायालय ने आगे बढ़कर 15.03.2011 की प्रशासनिक आदेश और 28.03.2011 की सूचना की वैधता के संदर्भ में इस न्यायालय के कुछ पूर्व निर्णयों का विचार किया। फिर आयोजित किया गयाः

28.03.2011 को जारी की गई दिल्ली NCT द्वारा जारी सूचना की वैधता के सवाल पर और 15.03.2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश के सवाल पर, हम निम्नलिखित रूप में निर्णय देते हैं:

30.1. पीसी अधिनियम की धारा 3 के उप-धारा (1) के अंतर्गत, राज्य सरकार संचालन के अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध की सजा के रूप में प्रावधान किए जाने के लिए आवश्यक होने पर अधिसूचना जारी कर सकती है, जिसमें उनके द्वारा उन क्षेत्र या क्षेत्रों या ऐसे मामले या समूह के लिए स्पष्ट रूप से किसी अपराध की सजा को सुनने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, जैसा कि स्वीकृति से प्रार्थी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपियों को आरोपित किया गया है, और ऐसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडित अपराध के लिए, दिल्ली NCT के पास निर्णय (ओं) जारी करने के लिए निर्णयक क्षेत्र (ओं) की नियुक्ति करने का अधिकार है जो 2G स्कैम मामलों को सुनने के लिए विशेष न्यायाधीश (ओं) की नियुक्ति करने के लिए आवश्यक है।

30.2 संविधान की धारा 233 और 234 में व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश बनाने या उन्हें किसी विशेष न्यायिक कोर्ट में तैनात करने के मामलों में आकर्षित होते हैं। उच्च न्यायालय का नियंत्रण सर्वांगीकृत, विशेष और प्रभावी होता है और यह संविधान के मूल विशेषता, यानी

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, की सेवा करता है। (देखें राजस्थान के उच्च न्यायालय बनाम रमेश चंद पालिवाल' [1998 का 3 सी. सी. 72: 1998 सी. सी. (भू. एवं लो.) 786] और उड़ीसा के उच्च न्यायालय बनाम शिशिर कांत सतपथी' [1999 का 7 सी. सी. 725 :1999 सी. सी. (भू. एवं लो.) 1373] किसी राज्य के जिला न्यायाधीश को नियुक्त करने, पदोन्नत करने या तैनात करने की शक्ति संविधान की धारा 233 के अंतर्गत राज्य के गवर्नर के पास है, जिसका प्रयोग केवल उच्च न्यायालय की परामर्श सहित किया जा सकता है। इसलिए, इस मामले में उच्च न्यायालय के पास जिला न्यायाधीश के रूप में अधिकारी (ओं) की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए अधिकारी (ओं) की नियुक्ति और तैनाती के लिए वाणिज्यिक धारा 3 के उप-धारा (1) के अंतर्गत स्पेशल जज (ओं) के रूप में नियुक्ति करने के लिए है।

30. 3. "वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली NCT के लिए की गई नामांकन को चुनौती नहीं दी उन्होंने महापंजीयक, उच्च न्यायालय द्वारा लिखे गए दिनांकित 15.03.2011 पत्र को चुनौती दी है। दिल्ली, नई दिल्ली के न्यायालय से जिला न्यायाधीश.एल.कम सत्र न्यायाधीश, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली और जिला न्यायाधीश-IV-सह-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, आई/सी, नई दिल्ली जिला, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को श्री के नामांकन के बारे में सूचित किया ओ. पी. सैनी, दिल्ली उच्च

न्यायिक सेवा के एक अधिकारी 2जी घोटाले के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति। 11 [पैरा 30 पर]

13. अंतिम पैराग्राफ, अर्थात् पैराग्राफ 35 में, यह न्यायालय रिट याचिकाओं को निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया गयाः

> "हम इन रिट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, वे हैं तदनुसार खारिज कर दिया। विशेष अदालत की उम्मीद है यह सुनिश्चित करने के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमे के साथ आगे बढ़ना मुकदमे का शीघ्र निपटान। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। [पैरा 35 पर]

14. इस न्यायालय के फैसले के बाद, एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड, हमारे समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक, द्वारा एक आवेदन दिनांक 29.07.2013, द्वारा एक संयुक्त परीक्षण की मांग की गई प्रार्थना इस प्रकार करें -

क) कृपया एक आदेश पास करें ताकि याचिका (सिविल) संख्या 57 की 2012 में 01.07.2013 को होने वाले मा.सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को प्रभावित करने के लिए अकेले 2011 की 1एसीसे 1गे के साथ अभियुक्त के रूप में "सह-अभियुक्त" के रूप में श्रेणीकरण करें, और इस संदर्भ में अन्य संविधानिक आदेश पास करें; और/या

ख) इस मामले पर नए सिरे से विचार करें। धारा 173 (8) सी. आर. पी. सी. और [2015] 11 एस. सी. आर. के तहत रिपोर्ट की प्राप्ति। नए शुल्क तय करें और उचित शुल्क भी जारी करें

ग) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश जारी करें कि - कार्यवाही अर्थात 2011 की सी. सी. सं. 1 और सी. सी. सं. 1बी 2011 एक परीक्षण में आत्मसात किया जाए, और इस उद्देश्य के लिए स्थिति को सुधारने के लिए उचित निर्देश जारी करें अतीत, और आगे की कार्यवाही के लिए, नियम अनुसार सी. सी. संख्या 1 की 2011 का ट्रायल धारा 220 के साथ 223 क्री. पी सी. के साथ आयोजित किया जाए; और/या "न्याय के हित में, इस माननीय न्यायालय के द्वारा जो कोई भी आदेश पास करें जो उपयुक्त और न्याय में उचित समझा जाए।

15. अन्य दो रिट याचिकाकर्ता, जिनकी याचिकाओं में था इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 01.07.2013 निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया, अर्थात् मेसर्स लूप टेलीकॉम लिमिटेड और श्री विकास सराफ, दोनों दिनांकित 01.07.2013 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाएं दायर की गई, जिन पर उन्होंने इस न्यायालय के समक्ष प्रतिष्ठित आर्थिक कारणों को उठाया जो इस न्यायालय के समक्ष प्रतिष्ठित किए गए थे। इन पुनर्विचार याचिकाओं को इस न्यायालय द्वारा 24.09.2013 को खारिज कर दिया गया था यह कथन इस तथ्य से देखा जा सकता है कि 01.07.2013 का निर्णय सभी पक्षों के बीच अंतिम हो गया है

16. वर्तमान अपील दायर करने का तत्काल कारण 02.09.2013 दिनांकित एक निर्णय है जिसके द्वारा विशेष न्यायाधीश ने एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा एक संयुक्त ट्रायल के लिए की गई आवेदन को खारिज कर दिया गया।

17. श्री हरीश साल्वे, विद्वान वरिष्ठ वकील उपस्थित हुए सभी के लिए, प्रस्तुत किया कि बहुत सारा पानी था पहले से ही प्रवाहित है और बड़ी संख्या में गवाह पहले से ही हैं जाँच की गई, वर्तमान में कार्रवाई का सही तरीका मामला दूसरा पूरक भेजने का होना चाहिए। सी. बी.आई. द्वारा प्रथम श्रेणी एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड के मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया। धारा 420 के साथ पठित धारा 120 बी के तहत अपराधों का मुकदमा चलाने के लिए । उनका तर्क था कि इस न्यायालय ने 01.07.2013 दिनांकित निर्णय में कहा गया था कि वर्तमान से याचिकाकर्ता चल रहे मुकदमे में सह-अभियुक्त थे, इसका पालन होना चाहिए कि या तो एक संयुक्त मुकदमा होगा, जिस मामले में पूरे कार्यवाही को नए सिरे से शुरू करना होगा, या जैसा कि उसके द्वारा सुझाव दिया गया था, दूसरा पूरक आरोप पत्र मुकदमे के लिए भेजा जाना चाहिए। अलग से प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को। के अनुसार भ्रष्टाचार अधिनियम, विशेष न्यायाधीश केवल उन अपराधों की सुनवाई कर सकते हैं जो उक्त अधिनियम के तहत उत्पन्न होते हैं न कि इसके तहत उत्पन्न होने वाले अपराध दंड संहिता। यह उक्त अधिनियम की केवल धारा 4(3) है जो

अनुमति देती है, उसमें उल्लिखित परिस्थितियों मेंए दंड संहिता के अपराधों का विचारण जो यह है कि किसी भी मामले का परीक्षण करते समय, विशेष न्यायाधीश में निर्दिष्ट अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध का भी प्रयास किया जा सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि यह केवल उसी परीक्षण में हो सकता है। उन्होंने इन शब्दों पर जोर दिया "वही "मुकदमा "और कहा कि यह स्पष्ट है कि दंड संहिता के अपराध से कम है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध से जुड़ा होना और बशर्ते कि उन पर एक साथ मुकदमा चलाया जाए, दंड के तहत कोई अपराध नहीं संहिता के तहत स्थापित विशेष न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम।

18. श्री आनंद ने इन दलीलों का विरोध किया। ग्रोवर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वकील के अनुसार, इस न्यायालय ने 01.07.2013 के निर्णय में निर्देश नहीं दिया कि एक संयुक्त ट्रायल हो, बल्कि केवल यह उल्लिखित किया कि विशेष न्यायाधीश "सकते" हैं कि वर्तमान मामला मुख्य मामले के साथ सुना जाए। उन्होंने इसके आगे तर्क दिया कि आखिरकार, क्योंकि इस न्यायालय ने इन्हीं याचिकाओं द्वारा दाखिल की गई रिट पिटीशनों को खारिज किया, और कहा कि अपेक्षित है कि विशेष कोर्ट त्राल को दिन प्रतिदिन आयोजित करने के लिए आगे बढ़े, ताकि शीघ्र निष्कर्षण हो सके, इससे स्पष्ट होता है कि आखिरकार किसी भी न्यायालय के किसी दिशा-निर्देश के तहत कोई संयुक्त

ट्रायल वास्तव में नहीं होने वाला था। उन्होंने और यह दावा किया कि हर तरह से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 220 और 223 की प्रावधानिकता न्यायालय को विवेक का अधिकार प्रदान करती है, जिसका उपयुक्त व्ययाम वर्तमान मामले के तथ्यों पर हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर सम्युक्त ट्रायल होने की बात होती तो सभी अभियुक्तों को अनिवार्य रूप से अपनी सहमति देनी होती, जो यहां की स्थिति नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया, हरजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1985) 1 SCC 422 को उद्धरण देकर, कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4(3) में पायी जाने वाली अभिव्यक्ति " एक समान ट्रायल" यह भी मान सकती है कि वर्तमान मामला तुरंत मुख्य मामले के ट्रायल के बाद सुना जा सकता है।

19. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता याचिकाकर्ता प्रस्तुतियाँ उठाने का प्रयास कर रहे हैं जिनके पास है इस न्यायालय द्वारा पहले से ही अपने निर्णय दिनांकित 01.07.2013 द्वारा खारिज कर दिया गया है-उनकी मुख्य प्रस्तुति, कि चीजों की योग्यता में, दूसरे पूरक आरोप-पत्र का परीक्षण एक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाना चाहिए जो इस न्यायालय के इस निर्णय के निष्कर्ष के विपरीत होगा, जिसमें इस न्यायालय ने यह तय किया है कि केवल अद्ययन विशेष न्यायाधीश द्वारा की जाने चाहिए। इसके अलावा, उनकी योग्यता भी स्पष्ट रूप से विशेष न्यायाधीश के सामने प्रार्थना किए गए आवेदन के बाहर है। हमने पहले से ही उपर्युक्त पैराग्राफ 13 में

उल्लिखित विवाद को निकाल लिया है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त आवेदन में प्रार्थनाओं को पढ़कर साफ है कि 01.07.2013 के इस महकमे के निर्णय के परिपुर्ण अनुसरण के लिए केवल एक संयुक्त ट्रायल के लिए अनुरोध किया गया था। वास्तव में, आवेदन और शिक्षित विशेष न्यायाधीश के समक्ष किए गए तर्कों की पढ़ाई के समय, प्रार्थना कर्ता के मुख्य तर्क यह था कि इस न्यायालय ने वास्तव में एक संयुक्त ट्रायल को निर्धारित किया था। इसे यह तय किया गया कि इस महकमे ने, 01.07.2013 के निर्णय के पैराग्राफ 25 में, केवल यह कहा था कि विशेष न्यायाधीश के पास विवेक है जिसे वह अच्छी तरह से मामले के तथ्यों के संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं।

20. धारा 220 और 223 की पृष्ठभूमि में पढ़ें, यह है कि एक विवेकाधिकार न्यायालय के पास एक संयुक्त ट्रायल आदेश देने के लिए निहित है । वास्तव में, चंद्र भाल बनाम में उत्तर प्रदेश राज्य (1971) 3 एस. सी. सी. इस न्यायालय ने कहाः

> "संहिता की धारा 233 आलग-आलग अपराध के लिए एक अलग आरोप और ऐसे हर ऐसे आरोप के लिए एक अलग ट्रायल प्रदान करने का सामान्य अधिसूचन निर्वाचित करती है। सामान्य नियम के पीछे छिपा विस्तार उद्देश्य ऐसा लगता है कि आरोपित को स्पष्ट आरोप की सूचना दी जाए और उसे संघटन के द्वारा उत्पन्न होने वाले संघटन से बचाया जाए, जो एक ही आरोप में अलग-अलग अपराधों को

एक साथ मिला देने और एक ही ट्रायल में कई आरोपों को मिलाने के परिणामस्वरूप होने वाले भ्रम से हो सकता हैं। हालांकि, इस सामान्य नियम की इसमें अपवाद होते हैं और वे धारा 234, 235, 236 और 239 में पाए जाते हैं। इन अपवादों में ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें एक अपराध के लिए एक से अधिक ट्रायल से यह स्पष्ट रूप से संघटन या आरोपित को उसकी रक्षा में किसी प्रकार की परेशानी या हानि का संभाव नहीं माना जाता है। आरोपों को संघटित करने का मामला, हालांकि, न्यायालय के सामान्य विवेक के अधीन होता है और इस विवेक का न्यायिक उपयोग पर नियंत्रण करने वाला मुख्य विचार यह होना चाहिए कि आरोपों को संघटन से रक्षा को परेशानी से बचाया जाए। अपीलकर्ता के तर्क पर विचार किया जाने वाला केवल धारा 235(1) है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि अगर एक ही प्रक्रिया के एक साथ जुड़े हुए किसी सम्बंधित दुसरे क्रियाओं में एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक अपराध किए जाते हैं तो उसे वह प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए एक ही ट्रायल में आरोपित किया और सुनवाई की जा सकती है।" यह अपवाद और अन्य अपवादों की तरह केवल एक से अधिक अपराधों के संयुक्त न्याय की अनुमति देता है। यह न केवल संयुक्त न्याय को अनिवार्य बनाता है और न ही

अलग न्यायों को बाधित या रोकता है। कानून के धारा 403 के उप-अनुभाग (2) भी प्रावधान करता है कि कोई भी अपराध में दोषमुक्त या दोषी पाया जाने पर उसके खिलाफ एक अलग अपराध के लिए बाद में न्याय किया जा सकता है, जिसके लिए पूर्व में उसके खिलाफ धारा 235(1) के तहत एक अलग आरोप किया जा सकता था। यदि हमारे सामने कोई कानूनी आपत्कार हो तो उसके अलग न्याय के खिलाफ कोई भी कानूनी आपत्कार सहयोगी नहीं है और उसके वकील ने हमारे सामने इससे पहले किसी भी गंभीर आपत्कार को सजाया नहीं है।" [पैरा 5 में]

21. विद्वान वरिष्ठ वकील का दूसरा तर्क हमारे समक्ष याचिकाकर्ताओं को पहले ही इसका जवाब दिया जा चुका है जिसके अंतर्गत 15.03.2011 को दिनांकित प्रशासनिक आदेश और 28.03.2011 को दिनांकित NCT अधिसूचना को मान्यता दी गई है। यह न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय का प्रशासनिक आदेश दिनांकित 15.03.2011 भी वैध था, यह स्पष्ट है कि दंड संहिता का अपराध अपने आप में ऐसा अपराध है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध के साथ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा -विशेष न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र में होगा क्योंकि उच्च न्यायालय का प्रशासनिक आदेश विशेष अदालत को शक्ति देता है 2 जी घोटाले से संबंधित सभी अपराधों का फैसला करने के लिए वास्तव

में, एक बार जब इस आदेश को बरकरार रखा जाता है, तो विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता भ्रष्टाचार निवारण की धारा 4 (3) पर आधारित तर्क अधिनियम महत्वहीन हो जाता है। यही कारण है कि 28.03.2011 को दिनांकित अधिसूचना के बिना, विशेष न्यायाधीश को स्वयं उनके द्वारा 2G स्कैम से संबंधित सभी मामलों के न्याय का पालन करने की योग्यता प्राप्त है, जिसमें स्वयं ही ऐसे दण्ड संहिता अपराध शामिल हैं, जब तक कि वे 2G स्कैम से संबंधित हों। श्री सल्वे ने राज्य (सीबीआई, नई दिल्ली के माध्यम से) बनाम जितेंद्र कुमार सिंह, (2014) 11 SCC 724 को उद्धरण देकर और विशेष रूप से पैराग्राफ 38 को उद्धरण देने के लिए स्वागत किया कि भ्रष्टाचार अधिनियम के मामले को सुनने के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश उस समय तक गैर भ्रष्टाचार अधिनियम के मामले सुनने की अनुमति नहीं दे सकते, जब तक ऐसे मामलों के बीच कोई कारण संबंध न हो, जिसके मामले में वे साथ में सुने जाने की आवश्यकता हो। हमारे द्वारा निर्धारित किया गया है कि एक बार जब 15.03.2011 को दिनांकित प्रशासनिक आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा किये गए आपत्कार को विशेष रूप से खारिज किया गया है, तो दूसरे पूरक आरोप पत्र से उत्पन्न अपराधए दण्ड संहिता के अपराध होने के कारण, केवल विशेष न्यायाधीश द्वारा अलग-अलग सुने जा सकते हैं, जो 2G स्कैम से संबंधित होते हैं।

22. हम पाते हैं कि विशेष न्यायाधीश, दिनांकित आदेश के अनुसार 02.09.2013, व्यायाम न करने के ठोस कारण बताए हैं संयुक्त

परीक्षण का आदेश देने का विवेकाधिकार। उन्होंने कहा कि साक्ष्य में मुख्य मामला लगभग अंत तक पहुँच गया है और उतने ही 146 मुख्य मामले में गवाह और दूसरे मामले में 71 गवाह पूरक आरोप-पत्र की पहले ही जांच की जा चुकी है। दोनों मामलों को एक साथ जोड़ने से नुकसान होगा प्रयास पहले से ही चला गया है और न्याय की विफलता की ओर ले जाएगा। विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार निष्कर्ष निकालाः

47) अंत में मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि न्यायालय के लिए संयुक्त न्याय का आयोजन करना अनिवार्य नहीं है, और इन धाराओं की प्रावधानिक धाराओं के अलावा कुछ भी नहीं है। एक अभियुक्त अन्य अभियुक्तों के साथ संयुक्त रूप में अपने खिलाफ न्यायिक नियोजन करने की मांग नहीं कर सकता, वह भी एक अलग मामले में। यह केवल एक विवेकात्मक शक्ति है, और अगर न्याय के हित की मांग और न्यायिक असफलता को रोकने के लिए ऐसा मांग दर्ज करे तो केवल उस विशेष मामले में अनुमति दी जा सकती है। इस वर्तमान मामले में, न तो तथ्य और आरोप समान हैं, और न साक्षय समान है, और न ही अभियुक्त एक समान उद्देश्य के साथ कार्य कर रहे थे, और इस प्रकार, संयुक्त न्याय का आयोजन करने के लिए कोई कारण नहीं है। मैं यह भी जोड़ना चाहता हूं कि इस स्तिथि में संयुक्त न्याय आयोजन करने से न्यायिक असफलता हो सकती है।

48) मेरी विनम्र दृष्टि के अनुसार, अगर इन धाराओं की शर्तें पूरी होती हैं, तो भी न्यायालय को संयुक्त न्याय आयोजन करने को आवश्यक नहीं मानना चाहिए, यदि वर्तमान मामले में वे शर्तें पूरी नहीं होती हैं, यानी:

क) जब संयुक्त परीक्षण से परीक्षण लंबा चलेगा;

ख) न्यायिक समय की अनावश्यक बर्बादी करना; और

ग) अभियुक्त को उल्लिखित मामले में केवल कुछ छोटे अपराध में भाग लेना। उसको भ्रमित करना या उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा करेगा।

23. हम विवादित फैसले में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप, अपील और रिट याचिकाएं, खारिज किए गए हैं।

देविका गुजराल अपील और रिट याचिकाएँ खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक तमन्ना कौशिक (आर.जे.एस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकारों को उनकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है। इसे अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग में नही लिया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।